

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 16, 1973/आश्विन 24, 1895

No. 349] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 1973/ASVINA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 16th October 1973

S.O. 545(E)/IDRA/73.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 39(E)/15/IDRA/73, dated the 22nd January, 1973, as amended by the Ministry of Industrial Development Order No. S.O. 329(E)/IDRA/73, dated the 8th June, 1973, namely:—

In paragraph 2 of the said Order, for the words and figures "by the end of June, 1973", the words and figures "by the end of December, 1973" shall be substituted.

[No. F.2/3/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1973

का० आ० 545(अ)/आई डी आर ए/73.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 329 (ई)/आई डी आर ए/73, तारीख 8 जून, 1973 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 39(ई)/15/आई डी आर ए/73, तारीख 22 जनवरी, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में, “1973 के जून के अन्त तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “1973 के दिसम्बर के अन्त तक” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं० फा० 2/3/72-सी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।